कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री नाया व अन्य | **विपक्षी** सरकार व अन्य
कस्म मुकदमा धारा–111, 128 भू–राजस्व अधिनियम | **प्रकरण संख्या** 56/2023

	कार्यवाही विवरण	
19–06–2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकरान उपस्थित। पत्रावली मे बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपना प्रार्थना पत्र दोहराते हुए कथन किया है कि मौजा धोलामंगरा पटवार हल्का ईडाणा तहसील सलूम्बर मे प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि आराजी नम्बर 2624/2292, 2623/2292, 2622/2292, 2621/2292 कुल किता 4 रकबा 3.50 हैक्टयर भूमि स्थित है। विपक्षीगण उक्त सीमा जानकारी स्वीकार करने को तैयार नहीं है तथा सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 3 व 4 ने जवाब पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सीमा जानकारी व पत्थर गढी करने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन ने वकालतनामा पेश किया तथा बहस मे प्रार्थीगण के आराजीयात की भूमि हेतु पत्थरगढी आदेश फरमाये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। बहस मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र मे वर्णित मौजा धोलामंगरा पटवार हल्का ईडाणा तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 मे प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि आराजी नम्बर 2624/2292, 2623/2292, 2622/2292, 2621/2292 कुल किता 4 रकबा 3.50 हैक्टयर भूमि का प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार होकर राजस्व जमाबंदी मे प्रार्थीगण के पृथक–पृथक खाते मे नाम दर्ज अंकित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। **–:आदेश:–** प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा धोलामंगरा पटवार हल्का ईडाणा तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075–2078 मे प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि आराजी नम्बर 2624/2292, 2623/2292, 2622/2292, 2621/2292 कुल किता 4 रकबा 3.50 हैक्टयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु लगभग ढाई फिट के कुल 20 पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। साथ ही भूअभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा हो। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सलुम्बर के नाम जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया। (पर्वत सिंह चूण्डावत RAS) उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर, जिला सलूम्बर	

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)